संख्या-11/2021/205/12-5-2021-ब0-02/2018

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषिअनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 24 फरवरी, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/807/वित्तीय स्वीकृति 2020-21, दिनांक 20 जनवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में रहमानखेड़ा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के व्यय को वहन करने हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 117.70 लाख के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास हेतु धनराशि रू.29.44 लाख मात्र को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि (दिनांक 03-11-2020 तक)	चतुर्थ त्रैमास के लिए स्वीकृत धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म				
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण				
04-रहमान खेडा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	117.70	88.26	54.20	29.44
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	647.00	647.00	324.70	0.00
योग	764.70	735.26	378.90	29.44

(रू.उन्तीस लाख चौवालिस हजार मात्र)

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान निमयावली के समस्त नियम लागू होगें तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होगें तथा इस सम्बन्ध में वित्त(लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63 दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जाये।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उ0 प्र0 को सूचित करेगें।

4- जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जाये। तथा जहां कही भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथा समय प्राप्त किया जायेगा। और व्यय को धनराशि की सीमा तक ही सीमिति रखा जाये।

6- जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

8- प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

9- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

10- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

11- अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते मे रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

12- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

13- उक्त स्वीक़ृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04-रहमानखेड़ा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन), 31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

14- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, दिनांक 07-04-2020, दिनांक 11-04-2020 एवं 18-05-2020 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-11/2021/205(1)/12-5-2021-ब-2/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, द्वितीय/प्रथम (आडिट /सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in